

अध्याय 16

सरकारी लेखाकरण के साधारण सिद्धान्त

216. लेखाओं के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ

संघ तथा राज्य सरकारों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 तथा अधिनियम की धाराओं 10 से 12 तथा 23 में निर्धारित हैं।

217. लेखाओं के संबंध में संविधान के प्रावधान

(1) संविधान के अनुच्छेद 149 के अन्तर्गत संघ तथा राज्यों और अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे कर्तव्यों का पालन तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अन्तर्गत विहित किए जाए।

(2) संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के अनुसार संघ तथा राज्यों के लेखों को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द ‘प्रारूप’ एक व्यापक अर्थ रखता है ताकि इसमें न केवल वृहत प्रारूप, जिसमें लेखे रखे जाने हैं, का निर्धारण हो बल्कि उचित शीर्ष, जिनके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किए जाने हैं, के चयन करने का आधार भी शामिल हो।

218. लेखाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधान

(1) अधिनियम की धारा 2 (ई) के साथ पठित धारा 10 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, लेखाओं को रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों या विभागों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों को भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से संघ और प्रत्येक राज्य तथा विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के लेखाओं का संकलन करने और उनके संबंधित लेखे रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। संघ राज्य क्षेत्रों सहित संघ के मामले में राष्ट्रपति तथा राज्य के मामले में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से राज्यपाल, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद, आदेश द्वारा संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ के या राज्य के, या संघ राज्य क्षेत्र सहित संघ अथवा राज्य की किसी विशेष सेवा या विभाग के लेखाओं के संकलन अथवा रखने के उत्तरदायित्व से उन्हें मुक्त कर सकते हैं।

(2) अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उन लेखाओं, जहाँ कहीं उत्तरदायित्व उनके पास है, को राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जहाँ वह उन लेखाओं के संकलन या रखने के लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ तक ऐसा करने के लिए वह समर्थ हैं, संघ सरकार या राज्य सरकार या विधान मण्डल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, जैसा भी मामला हो, को समय-समय पर अपेक्षित सूचना देंगे या सहायता प्रदान करेंगे।

(4) अधिनियम की धारा 23 सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राधिकृत करती है।

219. सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्त

(1) अधिनियम की धारा 23 के प्रयोजन हेतु सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्तों के रूप में मानी जाएगी।

(2) सभी सरकारी विभागों से सरकारी लेखे रखने के साधारण सिद्धान्तों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा के दौरान यह जांच करना लेखापरीक्षक का कर्तव्य है कि क्या इन सिद्धान्तों का सभी सरकारी विभागों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

220. लेखाओं का प्रारूप

(1) खजानों तथा लोक निर्माण मण्डलों द्वारा लेखाओं के रखरखाव तथा प्रस्तुत करने से संबंधित विस्तृत नियम, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से अथवा उनके द्वारा जारी खजानों की लेखाकरण नियमावली तथा लेखा संहिता खण्ड III में सन्निहित हैं। प्रारूप जिसमें डाक विभाग और अन्य तकनीकी विभागों द्वारा आरम्भिक और सहायक लेखे रखे और भेजे जाएंगे, से संबंधित विस्तृत नियम तथा निर्देश संबंधित लेखा नियम पुस्तकों या संबंधित विभाग से संबंधित विभागीय विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।

(2) सरकारी प्रतिष्ठानों तथा कम्पनियों को छोड़कर स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों से संबंधित लेखाओं का प्रपत्र नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। संघ सरकार के स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों के मामले में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहमति से सरकार द्वारा एक सामान्य प्रपत्र निर्धारित किया गया है। पत्तन न्यासों, जिनके लिए अलग प्रपत्र लागू है, जैसे कुछ प्राधिकरणों को छोड़कर यह सामान्य प्रपत्र सभी स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों पर लागू होता है। राज्यों के स्वायत्त निकायों के लिए राज्य सरकारें भी संघ सरकार के स्वायत्त निकायों पर लागू सामान्य प्रपत्र अपना सकती हैं।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संस्तुत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का प्रपत्र संघ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अनेक राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया है।

221. सरकार के लेखाकरण मानकों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका

(1) भारत सरकार के समर्थन से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय में स्थापित सरकारी लेखाकरण मानक परामर्श बोर्ड सरकारी विभागों तथा संगठनों में अनुसरण किए जाने वाले लेखाकरण मानकों से संबंधित सिफारिशें करने के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड के अध्यक्ष उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं और सदस्यों के रूप में महालेखानियंत्रक, महानियंत्रक रक्षा लेखा, वित्त आयुक्त (रेलवे) सहित विभिन्न पण्डारी हैं।

(2) सरकारी लेखाकरण मानक परामर्श बोर्ड को वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता में इन प्रतिवेदनों के प्रयोक्ताओं की आवश्कताओं के आधार पर सुधार करने के उद्देश्य से

मानकों को निरूपित करने और प्रस्तावित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। बोर्ड मानकों को सामयिक रखने का प्रयत्न करता है और उनके कार्यान्वयन पर मार्गनिर्देश प्रदान करता है।

(3) सरकारी लेखाकरण मानक परामर्शी बोर्ड को, रोकड़ लेखाकरण को उपचय लेखाकरण में बदलने के लिए रूपरेखा और खाका तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

222. लेखाकरण सूचना की सामयिकता, यथातथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रभावी रूप से लेखाकरण कार्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार को आंतरिक नियंत्रण सहित प्रणालियां स्थापित करने और लागू करने की आवश्यकता है जिससे सभी प्रारम्भिक लेखाकरण इकाईयां लेखा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार आवश्यक सूचना भेज सकें और भेजी गई सूचना यथातथ्य और पूर्ण हो।

223. हकदारी कार्यों के लिए सूचना की सामयिकता, यथातथ्यता तथा पूर्णता सुनिश्चित करना

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्रभावी रूप से हकदारी कार्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण सहित प्रणालियां स्थापित करने और लागू करने की आवश्यकता है जिससे राज्य सरकार के विभाग लेखा कार्यालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार अपेक्षित सूचना भेज सकें और भेजी गई सूचना यथातथ्य और पूर्ण हो।